



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102021-230213
CG-DL-E-07102021-230213

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3778]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 7, 2021/ आश्विन 15, 1943

No. 3778]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2021/ASVINA 15, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4112(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4306(अ), तारीख 26 नवम्बर 2020, भारत के राजपत्र सं० 3789 तारीख 2 दिसम्बर 2020, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला — गोरखपुर एल.पी.जी. गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील रुद्रपुर, जिला देवरिया में एल.पी.जी. गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना सम्बन्धित भू-स्वामियों को तारीख 20 जून 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का निश्चय किया है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : देवरिया		राज्य उत्तर प्रदेश :			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर-आर- वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6
रुद्रपुर	लबकनी	452	00	04	86
		451	00	01	51
		453	00	02	49
		456	00	13	19
		454	00	00	42
		483	00	10	30
		484	00	05	55
		485	00	04	80
		494	00	00	39
		527	00	03	72
		528	00	10	54
		529	00	03	33
		530	00	05	13
		531	00	03	97
		544	00	00	20
		543	00	01	26
		538	00	08	90
		537	00	03	96
		536	00	01	36
		535	00	03	52
		576	00	00	45
		587	00	06	84

1	2	3	4	5	6
		588	00	03	26
		589	00	04	31
		595	00	00	22
		594	00	12	53
		599	00	00	51
		611	00	10	70
		609	00	02	40
		610	00	08	32
		621	00	00	42
		623	00	16	15
		624	00	05	87
		631	00	00	61
		633	00	02	16
		644	00	10	71
रुद्रपुर	इन्दुपुर	204	00	12	80
		208	00	00	33
		209	00	18	06
		210	00	01	34
		212	00	00	30
		213	00	07	02
		220	00	00	37
		214	00	08	82
		215	00	04	32
		218	00	00	26
		313	00	02	39
		307	00	04	07
		310	00	03	97
		311	00	07	35
		312	00	00	20
		332	00	00	49
		319	00	01	84
		295	00	05	59
		354	00	12	70

1	2	3	4	5	6
		355	00	00	20
		392	00	05	50
		394	00	08	71
		395	00	00	24
		398	00	01	63
		397	00	03	24
		400	00	00	42
		403	00	05	50
		404	00	01	12
		405	00	03	99
		407	00	00	28
		412	00	03	44
		408	00	01	07
		410	00	04	93
		409	00	00	24
		421	00	00	32
		425	00	10	88
		428	00	00	47
		431	00	05	96
		633	00	02	75
		637	00	10	03
		643	00	08	49
		650	00	06	21
		651	00	01	62
		649	00	02	68
		653	00	06	74
		654	00	00	22
		656	00	00	43
		657	00	00	69
		686	00	04	89
		685	00	01	03
		684	00	00	66
		687	00	00	69
		694	00	04	37

1	2	3	4	5	6
		692	00	00	85
		693	00	01	12
		691	00	02	03
		690	00	02	46
रुद्रपुर	मदैना	267	00	03	72
		261	00	06	22
		260	00	02	77
		257	00	02	95
		256	00	06	53
		254	00	03	51
		255	00	00	20
		251	00	01	15
		253	00	00	78
		249	00	00	25
		252	00	03	76
		245	00	00	20
		244	00	00	59
		231	00	05	24
		230	00	00	20
		229	00	02	35
		233	00	01	72
		228	00	04	18
		226	00	00	20
		203/ 689	00	01	09
		203	00	06	46
		207	00	05	02
		208	00	00	55
		190	00	03	99
		201	00	00	29
		194	00	02	46
		191	00	00	77
		193	00	00	24
		192	00	07	82

1	2	3	4	5	6
		196	00	00	51
		180	00	07	21
		181	00	06	88
		105	00	05	08
		166	00	00	67
		109	00	00	59
		156	00	06	10
		160	00	00	77
		155	00	07	80
		161	00	01	22
		162	00	02	89
		154	00	01	39
		153	00	04	41
		151	00	00	20
		152	00	00	43

[फ. स. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2021

S. O. 4112(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No 4306 (E) Dated 26 November 2020 published in the Gazette of the India Gazette No 3789 dated 2 December 2020 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline” for the transportation of LPG in Rudrapur Tehsil of Deoria District in the state of Uttar Pradesh by IHB Private Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 20th June 2021 And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration in IHB Private Limited, free from all encumbrances.

IHB Private Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Deoria		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.-	Are -	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Rudrapur	Labkani	452	00	04	86
		451	00	01	51
		453	00	02	49
		456	00	13	19
		454	00	00	42
		483	00	10	30
		484	00	05	55
		485	00	04	80
		494	00	00	39
		527	00	03	72
		528	00	10	54
		529	00	03	33
		530	00	05	13
		531	00	03	97
		544	00	00	20
		543	00	01	26
		538	00	08	90
		537	00	03	96
		536	00	01	36
		535	00	03	52
		576	00	00	45
		587	00	06	84
		588	00	03	26
		589	00	04	31
		595	00	00	22
		594	00	12	53
		599	00	00	51
		611	00	10	70
		609	00	02	40
		610	00	08	32
		621	00	00	42
		623	00	16	15

1	2	3	4	5	6
		624	00	05	87
		631	00	00	61
		633	00	02	16
		644	00	10	71
Rudrapur	Indupur	204	00	12	80
		208	00	00	33
		209	00	18	06
		210	00	01	34
		212	00	00	30
		213	00	07	02
		220	00	00	37
		214	00	08	82
		215	00	04	32
		218	00	00	26
		313	00	02	39
		307	00	04	07
		310	00	03	97
		311	00	07	35
		312	00	00	20
		332	00	00	49
		319	00	01	84
		295	00	05	59
		354	00	12	70
		355	00	00	20
		392	00	05	50
		394	00	08	71
		395	00	00	24
		398	00	01	63
		397	00	03	24
		400	00	00	42
		403	00	05	50
		404	00	01	12
		405	00	03	99
		407	00	00	28
		412	00	03	44
		408	00	01	07
		410	00	04	93
		409	00	00	24

1	2	3	4	5	6
		421	00	00	32
		425	00	10	88
		428	00	00	47
		431	00	05	96
		633	00	02	75
		637	00	10	03
		643	00	08	49
		650	00	06	21
		651	00	01	62
		649	00	02	68
		653	00	06	74
		654	00	00	22
		656	00	00	43
		657	00	00	69
		686	00	04	89
		685	00	01	03
		684	00	00	66
		687	00	00	69
		694	00	04	37
		692	00	00	85
		693	00	01	12
		691	00	02	03
		690	00	02	46
Rudrapur	Madaina	267	00	03	72
		261	00	06	22
		260	00	02	77
		257	00	02	95
		256	00	06	53
		254	00	03	51
		255	00	00	20
		251	00	01	15
		253	00	00	78
		249	00	00	25
		252	00	03	76
		245	00	00	20
		244	00	00	59
		231	00	05	24
		230	00	00	20

1	2	3	4	5	6
		229	00	02	35
		233	00	01	72
		228	00	04	18
		226	00	00	20
		203/689	00	01	09
		203	00	06	46
		207	00	05	02
		208	00	00	55
		190	00	03	99
		201	00	00	29
		194	00	02	46
		191	00	00	77
		193	00	00	24
		192	00	07	82
		196	00	00	51
		180	00	07	21
		181	00	06	88
		105	00	05	08
		166	00	00	67
		109	00	00	59
		156	00	06	10
		160	00	00	77
		155	00	07	80
		161	00	01	22
		162	00	02	89
		154	00	01	39
		153	00	04	41
		151	00	00	20
		152	00	00	43

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-1/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.